UPSP010110652025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4, सहारनपुर।
उपस्थितः प्रकाश तिवारी, (एच.जे.एस.)
दाण्डिक निगरानी संख्या 392 सन् 2025

मौ. खालिद पुत्र जहीरूद्दीन, उम्र-54 वर्ष, निवासी- ग्राम चकआदमपुर, थाना कुतुबशेर, सहारनपुर, आधार कार्ड संख्या-6701 7752 1185 ।

.................निगरानीकर्ता/आवेदक।

बनाम्

1- उत्तर प्रदेश राज्य।
2- सुरेन्द्र पुत्र अज्ञात, उम्र-61 वर्ष,
3- कुलविन्द्र सिंह पुत्र जसबीर सिंह, उम्र-36 वर्ष,
4- इन्द्रजीत सिंह पुत्र रतन सिंह, उम्र-63 वर्ष, निवासीगण- ग्राम नल्हेड़ा बेद बेगपुर, थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

...............प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।

निर्णय

1- प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या-10062/2023 मौ. खालिद बनाम सुरेन्द्र आदि में पारित आदेश दिनांकित 21.06.2025 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2- विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा विषयांकित दाण्डिक परिवाद संख्या-10062/2023 मौ. खालिद बनाम सुरेन्द्र आदि में प्रारम्भिक जांच के स्तर पर परिवाद कथानक, परिवादी तथा उसके साक्षीगण पी.डब्लू.1 हसीन व पी.डब्लू.2 नदीम के बयान तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर आलोच्य आदेश के माध्यम से परिवादी मौ. खालिद द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत निरस्त किया गया है।

3- हस्तगत दाण्डिक निगरानी के माध्यम से निगरानीकर्ता द्वारा यह आधार प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण है। परिवाद में दिये गये तथ्यों एवं परिस्थितियों, गवाहान पी.डब्लू.1 हसीन, पी.डब्लू.2 नदीम तथा निगरानीकर्ता/परिवादी के बयान को पढ़ते व आलोच्य आदेश पारित करते समय विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा ज्यूडीशियल माईंड का प्रयोग नहीं किया गया है और मात्र यह कहते हुये कि परिवादी और प्रतिवादीगण के मध्य जमीनी विवाद चल रहा है, जहां तक चैक के दुरूपयोग का सम्बन्ध है, प्रार्थी बैंक में प्रार्थना पत्र देकर चैक को रोक सकता है, परिवाद में वर्णित तथ्यों से पक्षकारों में सिविल प्रकृति का विवाद प्रतीत होता। आवेदक द्वारा विपक्षीगण पर लगाये गये आरोप निराधार एवं असत्य हैं। विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय **एच.पी. गुप्ता बनाम आशुतोष गुप्ता 2010 (6) एस.सी.सी.** तथा **रामविराजी देवी बनाम उमेश कुमार सिंह 2010 (6) ए.सी.सी. 560 एस.सी.** का हवाला देते हुए सिविल प्रकृति का मानते हुए अंतर्गत धारा 203 जा. फौ. मे खारिज कर कानून की भारी भूल की गयी है लेकिन उपरोक्त दोनो नजीरों के तथ्य परिवादी के केस में दिये गये तथ्यो से बहुत भिन्न है। विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय इस पर ज्यूडीशियल माईन्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, कोई जमीनी विवाद दोनो पक्षों के बीच न्यायालय में नही चल रहा है, ऐसा कोई तथ्य परिवाद या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जाये कि दोनो पक्षों के बीच दीवानी विवाद न्यायालय में चल रहा हो। जब कि उपरोक्त वाद में जो घटना है वह जबरदस्ती मुर्गी फार्म हाउस पर घुसकर डरा-धमका कर तमंचे के बल पर अलमारी से सामान लूटना और कागजात लूट कर निगरानीकर्ता के कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर व जान से मारने की धमकिया देने की घटना का है। परिवाद और परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. एवं साक्ष्य अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. के चश्मदीद दो गवाहान के बयान से विपक्षीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 386,392,452,506 भा.दं.सं. का अपराध प्रथम दृष्टया ही बनता है। विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय कानून की भारी भूल की गयी है। विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश हाईली प्रीज्यूडिश है तथा विद्वान

दण्डाधिकारी को निर्देशित किया जाना आवश्यक है अन्यथा निगरानीकर्ता की सख्त हकतलफी होगी। प्रार्थना की गयी है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 21.06.2025 अपास्त किये जाने के आदेश पारित किये जाये।

4- अपने कथन के समर्थन में निगरानीकर्ता की ओर से आलोच्य आदेश दिनांकित 21.06.2025 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी हैं।

5- निगरानीकर्ता, विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना, पत्रावली व विषयांकित मूल अभिलेख का सम्यक अवलोकन किया।

6- विधि यह है कि दाण्डिक निगरानी के अधीन अवर न्यायालय द्वारा निष्कर्षित तथ्यों पर तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे तथ्यात्मक निष्कर्ष पूर्णतयाः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न हो। निगरानी न्यायालय मात्र विधिक पहलुओं पर ही दृष्टिपात कर सकता है कि क्या अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश, दण्डादेश विधि के अनुकूल है अथवा नहीं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अद्यतन निर्णयज विधि ***बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार (दाण्डिक अपील संख्या 203-2221 सन् 2019, निर्णय दिनॉक 06.02.2019)*** के माध्यम से पूर्व प्रदत्त विधि ***Southern Sales & Services Vs. Sauermilch Design & Handels GMBH (2008) 14 SCC 457*** का अवलम्ब लेते हुये यह विधि प्रदान की गई कि, *"It is well established principle of law that the Revisional Court will not interfere even if a wrong order is passed by a court having jurisdiction, in the absence of a jurisdictional error."* उपरोक्त विधि से यह स्थापित है कि निगरानी क्षेत्राधिकारिता अत्यन्त सीमित व मात्र आलोच्य आदेश की विधिक समीक्षा के स्तर तक अनुमन्य है।

जहाँ तक परिवाद मामले में अभियुक्तगण को तलब किये जाने सम्बन्धी विधिक स्थिति का प्रश्न है, विधि सुस्थिर हो चुकी है कि धारा 204 दं.प्र.सं. के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए अवर न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया मामला देखना है, तथ्यों की सत्यता या संभावना का गुण–दोष पर विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। निर्णयज विधि **Chotelal Mali @ Girdhari Mali & Ors. Vs State of U.P. & Ors. 2010 (1)** के प्रस्तर 7 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 204 दं.प्र.सं. की आदेशिका जारी करने के लिये साक्ष्य का विश्लेषणात्मक प्रयोग अनुमन्य नहीं है, केवल न्यायालय को प्रथमदृष्टया मामले को देखना है और प्रथमदृष्टया मामले का तात्पर्य यह है कि प्रथमदृष्टया वह तथ्य साबित हो रहा, जिसे खण्डित न किया जाये तो उससे दोषसिद्धि परिणित होगी। निर्णयज विधि **Gambhir Singh R Dekre Vs. Phalgun bhai Chiman Bhai Patel AIR 2013 S.C. 1590** में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवाद पर संज्ञान लेने के स्तर पर अभियोगों की सत्यता में नहीं जाया जा सकता है। निर्णयज विधि **Km. Nisha Sharma & Anr. Vs. State of U.P. 2016 (92) ACC 364** के माध्यम से उपरोक्त विधिक स्थिति की पुष्टि की गयी किन्तु इसी क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णयज विधि **Pepsi Foods Ltd. & Anr. Vs. Spl. Judicial Magistrate, 1998 (5) SCC 749** का उल्लेख भी अत्यन्त प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि "Summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal law cannot be set into motion as a matter of course. It is not that the complainant has to bring only two witnesses to support his allegations in the complaint to have the criminal law set into motion. The order of the magistrate summoning the accused must reflect that he has applied his mind to the facts of the case and the law applicable thereto. He has to examine the nature of allegations made in the complaint and the evidence, both oral and documentary in support thereof and would that be sufficient for the complainant to succeed in bringing charge home to the accused. It is not that the magistrate is a silent spectator at the time of recording of preliminary evidence before summoning the accused. Magistrate had to carefully scrutinize the evidence …..................... the accused." निर्णयज विधि Prasanna Kumar Das Vs State of U.P. 2012 (3) UP Criminal Ruling 429 (Para 8 & 9), Satyendra Vs State of UP 2015 (2) UP Criminal Ruling 378 (Para 6 & 8) तथा निर्णयज विधि **Pooja Ravinder Devidasani**

Vs State of Maharashtra 2015 (3) SCC 378 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि प्रदान की गई कि दाण्डिक मामलों में तलबी आदेश एक गम्भीर मामला है, इसलिये दाण्डिक विधि को यान्त्रिक ढंग से क्रियाशील नहीं किया जा सकता, यद्यपि तलबी के स्तर पर साक्ष्य की विस्तृत जॉच या सूक्ष्म विश्लेषण अपेक्षित नहीं है, किन्तु यदि तलबी आदेश संक्षिप्ततः, न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बगैर एवं तथ्यों के उल्लेख व साक्ष्यों के विश्लेषण के बगैर यदि पारित किया गया है तो तथ्यतः न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। तलबी आदेश पारित करते हुये यह परिलक्षित होना आवश्यक है कि न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है तथा मजिस्ट्रेट को आरोपों की प्रकृति एवं साक्षियों से सत्यता निकालने के लिये प्रश्न करना चाहिये। दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या **2777 सन 2016 Pragati Devi Vs. State of UP & Ors**. में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधिक स्थिति की पुनरावृत्ति की गयी है।

उपरोक्त निर्णयज विधियों के माध्यम से प्रतिपादित विधिक सिद्वान्त के समग्र विवेचन के उपरांत यह विधिक स्थिति उत्पन्न होती है कि यद्यपि अभियुक्त को तलब किये जाने के स्तर पर प्रथमदृष्टया मामला सिद्व होना मात्र ही पर्याप्त माना गया है, उक्त प्रथमदृष्टया मामला के निर्धारण के निमित्त सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग की अपेक्षा भी की गयी है। माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि चूँकि दाण्डिक मामलों में अभियुक्त की तलबी एक गंभीर विषय है, इसे सामान्य प्रक्रियात्मक व यांत्रिक रूप से अग्रसारित न कर पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के विश्लेषणोपरांत प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने की दशा में ही अभियुक्त को तलब किया जाना उचित है।

7– संलग्न मूल परिवाद की पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विषयांकित प्रकरण में परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 03.07.2023 को याचिका अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. योजित की गयी जिसे विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा आदेश दिनांकित 01.08.2023 के माध्यम से परिवाद के रूप में व्यवहरित किया गया। परिवाद पत्र के माध्यम से परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा भूमि खसरा नं. 167 मि. रकबई 0.3765 हे. में से अपने हिस्से की 6000 वर्ग मीटर भूमि का विक्रय अनुबन्ध अंकन 3 करोड रूपये में विपक्षी सुरेन्द्र के साथ दिनांक 10.01.2023 को किया जाना, विपक्षी सुरेन्द्र द्वारा दिनांक 13.02.2023 को दो लाख रूपये व दिनांक 02.03.2023 को अंकन 5 लाख रूपये, कुल 7 लाख रूपये परिवादी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाना अभिकथित कर उक्त संव्यवहार के उपरांत विपक्षी सुरेन्द्र द्वारा बयाने के शेष 1 करोड़ तैतालिस लाख रूपये देने व रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने में आनाकानी किया जाना बताया गया तथा दिनांक 17.03.2022 को 5 लाख रूपये व दिनांक 20.03.2023 को दो लाख रूपये, कुल 7 लाख रूपये विपक्षी सुरेन्द्र को उसके खाते में वापस ट्रांसफर कर विक्रय अनुबन्ध को निरस्त किये जाने का कथन किया गया। उपरोक्त भूमि विक्रय संव्यवहार फलीभूत न होने की रंजिशवश ही दिनांक 16.05.2023 को समय करीब 06:30 बजे विपक्षीगण सुरेन्द्र, कुलविन्दर और इन्द्रजीत को परिवादी के मुर्गी फार्म पर बने कमरे में घुसकर उसकी कनपटी पर तमंचा ऱख जान से मारने की धमकी देकर व डरा–धमकाकर जबरदस्ती कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर व अंगूठा लगवाने तथा अलमारी से फोटो व चैंक संख्या 079145, 079146, 079147 व 079148 निकालने का आक्षेपण किया गया। सुनवाई के स्तर पर निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षीगण की ओर से उपरोक्त लूटे गये चैकों के आधार पर फर्जी परिवाद अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम योजित किया जाना तथा उक्त कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन होना स्वीकार किया गया। विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जॉच के स्तर पर परिवादी मौ. खालिद, साक्षीगण पी.डब्लू.1 हसीन व पी.डब्लू.2 नदीम के बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित कर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर पक्षों के मध्य प्रचलित भूमि विवाद के आलोक में विषयांकित मूल प्रकरण वस्तुतः सिविल प्रकृति का विवाद होने तथा निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा विपक्षीगण के प्रतिकूल लगाये गये आरोप निराधार व असत्य होने का मत व्यक्त करते हुये प्रथम दृष्टया विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध न होने तथा परिवादी द्वारा प्रतिरक्षा एवं पेशबन्दी में मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने की मंशा से परिवाद योजित किये जाने के तथ्यात्मक निश्चायक निष्कर्ष के अधीन मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सुस्थापित विधि के अनुसरण में आलोच्य आदेश के माध्यम से विषयांकित परिवाद धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरस्त किया गया। विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा प्रदत्त निष्कर्ष पूर्णतः तथ्यात्मक प्रकृति का, विधिनुकूल व स्वयं में अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार के

अन्तर्गत पारित किया गया है तथा जिसमें निगरानी के स्तर पर कोई हस्तक्षेप विधितः अनुमन्य नहीं है।

8– निष्कर्षतः उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय की राय में विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। निगरानी बलहीन है और निरस्त होने योग्य है।

आदेश

9- दाण्डिक निगरानी संख्या 392 सन 2025 मौ. खालिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि निरस्त की जाती है। आदेश की एक प्रति प्रमाणित कर सम्बन्धित न्यायालय को मय मूल अभिलेख अविलम्ब प्रेषित किया जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार संचयित अभिलेखागार हो।

दिनांक 06.04.2026

(प्रकाश तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-4, सहारनपुर।
आई.डी.-यू.पी.6317

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 06.04.2026

(प्रकाश तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-4, सहारनपुर।
आई.डी.-यू.पी.6317

Digitally signed by PRAKASH TIWARI
Date: 2026.04.06 16:04:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court